

चाइल्ड केयर लीव लेकर डॉक्टर मैडम बंगले में देख रहीं हैं मरीज

शासकीय आवास पूरे दिन मरीजों से रहता है हाउस फुल, सिविल सर्जन एवं सीएमएचओ ने कहा होगी कार्यवाही

नवभारत न्यूज
पन्ना, 8 अगस्त। पन्ना जिला चिकित्सालय में जहां लगभग सात महिला चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं लेकिन मात्र दो पदस्थ हैं और एक बिना किसी सूचना के एक वर्ष से लापता हैं। वर्तमान में मात्र दो महिला चिकित्सकों डा0 मीना नामदेव एवं डा0 नीलम पटेल पदस्थ हैं तीसरी डाक्टर नीतिका सिंह लगभग एक वर्ष से बिना किसी सूचना के लापता हैं और शासन प्रशासन बेखबर है।



महिला डाक्टर नीलम पटेल ने गत एक अगस्त से तीन माह का चाइल्ड केयर अवकाश ले लिया है और जिला चिकित्सालय परिसर स्थित अपने शासकीय आवास पर पूरे दिन मरीज देख रही हैं आखिर यह कैसा चाइल्ड केयर अवकाश लिया गया है कि बच्चे की देखभाल की बजाए पूरे दिन मरीजों को मात्र फीस के चक्र में देखा जा रहा है पता चला है कि उनका परिवार सतना में रहता जहां बच्चे भी रहते हैं। जहां पर रहकर उन्हें अपने परिवार एवं बच्चों की देखभाल करनी चाहिए लेकिन ऐसा न करते हुए पन्ना जिला चिकित्सालय परिसर में ही स्थित अपने शासकीय आवास पर पूरे दिन मरीजों को देखा जा रहा है यह कहां तक उचित है। यह भी जानकारी हासिल हुई है कि जिला चिकित्सालय में उनके द्वारा भर्ती हेतु भेजे गए मरीज जिला चिकित्सालय के ड्यूटी डाक्टर की दवाएं न लेते हुए मैडम पटेल की ही दवाएं लेने की बात कहते हैं इस प्रकार यदि कोई घटना भर्ती मरीज के साथ घटित हो जाए तो फिर जिला चिकित्सालय प्रबंधन पर दोषारोपण किया जाता है। एक

महिला डाक्टर के भरोसे जिला चिकित्सालय- तीन माह के चाइल्ड केयर अवकाश पर डा0 पटेल के जाने के बाद अब मात्र एक महिला डाक्टर के सहारे जिला चिकित्सालय के उपचार व्यवस्था है जिसमें लगभग प्रतिदिन 6-8 सौजर आपरेशन भी होते हैं। जिला चिकित्सालय प्रबंधन को उपरोक्त मामले को तत्काल संज्ञान में लेते यथोचित निर्णय लेना चाहिए ताकि जिला चिकित्सालय में महिला मरीजों को इलाज मुहैया हो सके। जब उपरोक्त मामले में स्वतः डा0 नीलम पटेल के मोबाइल पर संपर्क करना चाहा तो उन्होंने अपना मोबाइल रिसीव नहीं किया जिससे उनका पक्ष नहीं रखा जा सका।



अजयगढ़ में निकली तिरंगा यात्रा

नवभारत न्यूज
पन्ना 8 अगस्त। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग अभियान अंतर्गत गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे के नेतृत्व में अजयगढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों को राष्ट्रभक्ति और स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही आमजनों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान व स्वच्छता की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित भी किया गया। उपस्थित जनों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। इसके उपरांत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे रोपे। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत सीईओ सहित जनअभियान परिषद की जिला समन्वयक अनीता जाटव एवं वॉलेंटियर्स ने भी सहभागिता की।

सात में मात्र दो ही महिला डॉक्टर हैं पदस्थ

जिला चिकित्सालय में कुल सात महिला डॉक्टरों के पद स्वीकृत होने की जानकारी प्राप्त हुई जिसमें चार स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा 3 जुनियर महिला चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं लेकिन मात्र दो स्त्री रोग विशेषज्ञ मात्र पदस्थ हैं शेष पद रिक्त है इस और जिला प्रशासन सहित शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि निष्क्रिय बने हुए हैं।

हर घर तिरंगा व स्वच्छता पर रंगोली प्रतियोगिता हुई एक वर्ष से फरार आरोपी उग्र से गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
पन्ना 8 अगस्त। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्ससीलेन्स छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में आज राष्ट्र प्रेम और स्वच्छता के संदेश से ओतप्रोत 'हर घर तिरंगा' एवं स्वच्छता विषयक रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस. डी. चतुर्वेदी के संरक्षण एवं निर्देशन में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन एवं मार्गदर्शन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पिपुया शर्मा एवं डॉ. रचना गुप्ता ने किया, जबकि आयोजन में डॉ. डी. पी. कुशवाहा एवं डॉ. मनोज शुक्ला का विशेष सहयोग रहा। प्रतियोगिता का

मूल्यांकन डॉ. बी. एन. जायसवाल, डॉ. सचिन गोयल, डॉ. बरदाना प्रजापति एवं जय चैरसिया ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया तथा रंग-बिरंगी रंगोलीयों के माध्यम से देशभक्ति और स्वच्छता का अनुपम संदेश दिया। परिणाम घोषणा में खुशबू रैकवार (बी.ए. प्रथम वर्ष) ने प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया, जबकि मोहित रैकवार एवं अरविंद (बी.एससी. द्वितीय वर्ष) ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रिया कोरी एवं दालचंद कोरी को तृतीय स्थान प्रदान किया गया।

महिला की मौत का जिम्मेदार बारहवीं पास झोलाछाप डॉक्टर

नवभारत न्यूज
पन्ना 8 अगस्त। विगत वर्ष एक महिला की जान एक झोला छाप बंगाली डॉक्टर के गलत इलाज से चली गयी थी जिस पर मामला पंजीबद्ध था और आरोपी एक वर्ष से फरार चल रहा था एसपी पन्ना साईकृष्ण थोटा के निर्देश पर पुलिस ने उक्त आरोपी को 30 प्र0 से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस से हासिल जानकारी के अनुसार दिनांक 13 जून 2024 को फरियादी सुरेंद्र सिंह आदिवासी निवासी ग्राम लखनचैरी द्वारा थाना रैपुरा में रिपोर्ट की गई कि फरियादी की माँ प्रकाश रानी आदिवासी का इलाज बघवारकला में स्थित एक कथित बंगाली डॉक्टर प्रशांत विश्वास द्वारा किया गया, प्रशांत विश्वास द्वारा फरियादी की माता को इंजेक्शन, बोतल एवं दवाएँ दी गईं। इंजेक्शन लगाए जाने के तत्काल पश्चात माँ की तबियत बिगड़ गई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मृतिका की पी एम क्यूरी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि दो गई दवाओं का मरीज की स्थिति के अनुरूप नहीं होना, इंजेक्शन का गलत रूट से दिया जाना, दवाओं की ओवरडोज तथा संभावित ड्रग

टॉक्सिसिटी एवं हाइपरसेंसिटिविटी के कारण मरीज की मृत्यु होना संभाव्य है। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी प्रशांत विश्वास द्वारा यह जानते हुए कि उसके पास चिकित्सा का विधिक ज्ञान एवं योग्यता नहीं है, फिर भी उसने गंभीर चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई, जिससे मरीज की मृत्यु हो गई। विवेचना दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि आरोपी प्रशांत विश्वास न तो किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से प्रशिक्षित है, न ही उसके पास कोई चिकित्सकीय पंजीयन अथवा प्रमाण पत्र है। उसने स्वयं 12वें कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की है। इसके बावजूद वह लंबे समय से अवैध रूप से चिकित्सकीय गतिविधियों में संलग्न था। आरोपी घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहा था। मामले के आरोपी को उतर प्रदेश के महोबा जनपद अंतर्गत सौनकपुर से गिरफ्तार किया जाकर ज्युडिशियल रिमांड पर न्यायालय पवई में पेश किया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को सिंगल विलक से अंतरित की राहत राशि यू-विन पोर्टल पर एंटी न करने पर एएनएम के वेतन में हुई कटौती

नवभारत न्यूज
पन्ना 8 अगस्त। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शूक्रवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जनहानि, पशुहानि एवं मकान क्षति से प्रभावित हितग्राहियों को सिंगल विलक के जरिए राहत राशि का अंतरण किया। इस दौरान हितग्राहियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वचुंअली संवाद कर राहत एवं बचाव कार्य में मिली सहायता के बारे में जानकारी भी ली। इस

नागवंशी, अधीक्षक भू-अभिलेख मेघेन्द्र बंदोपाध्याय एवं हितग्राही व सरपंचगण भी उपस्थित रहे। उपस्थितजनों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को देखा एवं सुना। राहत राशि वितरण कार्यक्रम में पन्ना जिले की 7 तहसील के 295 हितग्राही भी लाभांशित हुए, जिनमें कुल 56 लाख 49 हजार 230 रूपए की राहत राशि मिली। इसमें पन्ना तहसील के 113 हितग्राहियों को 8 लाख 93 हजार 850 रूपए, अजयगढ़ तहसील के 47 हितग्राहियों को

13 लाख 70 हजार रूपए, शाहनगर तहसील के 66 हितग्राहियों को 10 लाख 71 हजार रूपए, देवेन्द्रनगर तहसील के 40 हितग्राहियों को 13 लाख 20 हजार 600 रूपए, गुनौर तहसील के 27 हितग्राहियों को 1 लाख 93 हजार 780 रूपए तथा सिमरिया एवं रैपुरा तहसील के एक-एक हितग्राही को 4-4 लाख रूपए की राहत राशि प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार संकट की चड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ है।

प्रशिक्षण भी ब्लाक स्तर पर आयोजित किये जाते हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर पन्ना- सुरेश कुमार के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर पी तिवारी द्वारा 5 अगस्त को आयोजित टीकाकरण सत्र की यूविन पोर्टल पर एंटी की समीक्षा की गई एवं बार-बार निर्देशित किये जाने के पश्चात भी पोर्टल पर शून्य एंटी करने वाली एएनएम की एक दिवस की वेतन/मानदेय काटने की कार्यवाही की गई है जिसमें उपस्वास्थ्य केन्द्रों/पीएचसी पर पदस्थ निम्न एएनएम के नाम शामिल हैं। कृष्णा वर्मन उपस्वास्थ्य केन्द्र बम्होरी, सुनीता कोरी उपस्वास्थ्य केन्द्र बम्होरी किरण पाठक उपस्वास्थ्य केन्द्र कमताना, सुनीता कोरी उपस्वास्थ्य केन्द्र पिपरवाहा, रूचि जैन उपस्वास्थ्य केन्द्र भटनवारा, ममता वर्मा पीएचसी सलेहा, गीता नामदेव उपस्वास्थ्य केन्द्र गढीकरहिया, मिथलेश अहिरवार उपस्वास्थ्य केन्द्र कोनी, विभा तिवारी उपस्वास्थ्य केन्द्र मकरदंजण के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

मुख्यमंत्री कल्याणी योजनातर्गत दी जाती है 2 लाख की आर्थिक सहायता विधायक ने फीता काट कर आबा केन्द्र का किया शुभारंभ

नवभारत न्यूज
पन्ना 8 अगस्त। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण योजना के साथ मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा के फलस्वरूप उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ देने हेतु तथा विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना को मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के नाम से आरंभ किया गया है। कल्याणियों के पुनर्विवाह के लिए शासन द्वारा 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि मुहैया कराई जा रही है। इस योजना के लाभ के लिए कल्याणी व कल्याणी का पति

निकाह योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। कल्याणी द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण विवाह एवं निकाह योजना के सामूहिक विवाह में विवाह संपन्न होता है तो उस दशा में केवल कल्याणी विवाह योजना का ही लाभ देय होगा। कल्याणी विवाह योजना के लिए सामूहिक विवाह में विवाह करने का बंधन नहीं होगा। कल्याणी विवाह सहायता का लाभ कल्याणी के द्वारा विवाह करने पर ही देय होगा तथा यह कल्याणी विवाह सहायता राशि पूरे जीवनकाल में एक बार ही देय होगी। कल्याणी के विवाह उपरांत 7 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद होने पर दी गई सहायता राशि कल्याणी से वसूल की जाएगी।

नवभारत न्यूज
सलेहा/पन्ना 8 अगस्त। जनपद पंचायत गुनौर अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुलगवा - मडैयन में शासन द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत नवीन स्वीकृत जनजातीय आबा केन्द्र का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक। डॉ राजेश वर्मा एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष हरेन्द्र त्रिपाठी, कीर्ति चंदेल महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी गुनौर, ग्राम सरपंच कमलेश यादव द्वारा फीता काट कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक द्वारा उपस्थित

जिससे सभी बहनों हर्ष के साथ त्योहार मनायें, साथ ही शासन द्वारा यहां पर आंगनवाड़ी भवन के साथ अतिरिक्त में आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा रहा है, जिससे यहां के छोटे-छोटे बच्चों को संपूर्ण पोषण आहार एवं प्राथमिक शिक्षा मिल सकेगी। यहां बच्चे शिक्षण कार्य कर सकेंगे। साथ ही शासन द्वारा जनकल्याणकारी विधिय योजनाओं को चलकर जनता को लाभ प्रदान किया जाता है। विधायक द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर क्षेत्र की लाइली बहनों से राखी बंधवाई और उनका स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त किया।

छात्रों ने दिखाई पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी स्वतंत्रता दिवस आयोजन के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

नवभारत न्यूज
अजयगढ़/पन्ना 8 अगस्त। शासकीय माध्यमिक शाला बरियारपुर कुर्मियान विद्यालय में रक्षाबंधन के अवसर पर वृक्षों को राखी बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में छात्र, छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया और वृक्षों की रक्षा और देखभाल का वादा किया। शिक्षक रामरूप पटेल ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। यह पहल पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने और छात्रों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करेगी। विद्यालय के छात्रों ने वृक्षों को राखी बांधकर

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 15 अगस्त से पूर्व सजीव प्रसारण का रिहर्सल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के संदेश में स्थानीय उपलब्धियों को भी शामिल किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पूर्व वर्षों की भांति समारोहपूर्वक व्यवस्थित रूप से गरिमायम ढंग से मनाया जाएगा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में कलेक्टर सुरेश कुमार, पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

नवभारत न्यूज
पन्ना 8 अगस्त। जिला जेल पन्ना के उप जेल अधीक्षक राजेन्द्र प्रसाद मिश्र ने जेल विभाग द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार, 9 अगस्त को जेल में निरूद्ध बंदियों के परिजनों से भेंट के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुरुष बंदियों से मुलाकात और राखी बंधने के लिए केवल बंदी के परिवार की महिला सदस्यों एवं 6 वर्ष से कम आयु के बालक को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश मिल सकेगा। बंदी से भेंट के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंजीयन होगा। इसी तरह महिला बंदियों के भाईयों को दोपहर 12 बजे के बाद भेंट व राखी बंधवाने का समय मिल सकेगा। मुलाकात का समय 10 मिनट निर्धारित है। परिजन को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड इत्यादि में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। कीमती सामान, पर्य, मोबाइल, नगद राशि इत्यादि परिजन को बाहर देकर ही जेल गेट पर प्रवेश मिल सकेगा। यह सामग्रियां जेल के

अंदर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त तैयार भोजन तथा बाहर से निर्मित किसी भी प्रकार के मिष्ठान और नारियल को अंदर ले जाने पर भी रोक रहेगी। केवल मौसमी फल जैसे सेब, केला, अनार इत्यादि व पैक मिष्ठान ले जाने की अनुमति होगी। जेल प्रशासन द्वारा हल्दी, चावल व सिंदूर इत्यादि के साथ पूजा की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को रूमाल और राखी स्वयं लेकर आना होगा। बंदी से मुलाकात के लिए आने वाले सभी परिजनों को बाहर एक साथ एकत्र होने पर ही बंदी से भेंट कराई जाएगी। मुलाकात स्थल पर बार-बार एक ही बंदी को नहीं बुलाया जाएगा। इस दौरान राशि के नगद लेन देन पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही तम्बाकू, बीड़ी, गांजा, चरस एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि को जेल के अंदर ले जाना भी पूर्णतः वर्जित रहेगा। जेल प्रशासन द्वारा तलासी में पूर्ण सहयोग प्रदान कर किसी भी प्रकार का विवाद न करने के संबंध में भी सूचित किया गया है अन्यथा कानूनी व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

